

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

सेवा में,

पत्रांक:- न०नि०वि०-८/२०१९- ५२७

श्रीमती बबली रानी पाल
पति- श्री अमन लुमार पौल एवं अन्य,
तायाडीह, धनबाद।

धनबाद, दिनांक:- २२/०१/२०१९

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०-५३/१८-१९ सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक- १०.१०.१८ के सम्बन्ध में।

आपके आवेदन, दलील संख्या- ३६९५ एवं ३६९५ दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- ७८९/आर. २७/१८-१९ जमांबंदी संख्या- ३५ एवं ४४ से निर्गत लागान रसीद वर्ष- २०.१८-१९ की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं०-५३/१८-१९ के नकशे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नायाडीह-०२ अन्तर्गत खाता नं० १९ एवं ३५ स्लॉट नं०- ८०३ एवं ८२४ रकवा-९५३५.४२ घण्टाहाँ भूमि पर स्वीकृत नकशे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता अंजिया ल० लैशरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नकशे के अनुसार अधिकतम ३ (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बैगेर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नकशे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन नियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नकशा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नकशा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

झाला संरक्षण एवं पर्यावारण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा। आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रु० ३,९९०००/- $\frac{1}{3}$ भाग रु० १,३३०००/- का बैंक ड्रफ्ट एवं रु० १,२३०००/- का दो पोस्ट डेटेड चेक दिनांक- १५/०१/२०२१ एवं दिनांक- १८/०१/२०२१ का जमा किया गया है।

स्टक्वर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या ६० दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लानिंग के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लानिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नकशा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

मविष्य में भूमि संबंधी निवाद अथवा कागजाती में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्दर्था आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नकशे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

४३/०१/२०१९
कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
माडा, धनबाद।

४३/०१/२०१९
माडा, धनबाद।